पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

अक्तूबर, 2021 मास की महत्वपूर्ण घटनाएँ इस प्रकार हैं:-

1. मंत्रिमंडल के दिनांक 21.10.2021 के निर्णय के अनुसरण में, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय *महंगाई राहत* को 01.07.2021 से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन (अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन सहित) की मौजूदा 28% दर को बढ़ाकर 31% करने के आदेश 27.10.2021 को जारी किए हैं। ये आदेश अन्यों के साथ-साथ सिविल पेंशनभोगियों, सशस्त्र बल पेंशनभोगियों, सिविल पेंशनभोगियों जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों में से अदायगी की जाती है, अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों और रेलवे पेंशनभोगियों पर लागू होंगे।

2. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने *वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र* प्रस्तुत करने के संबंध में बैंकों की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए 06.10.2021 को पेंशन संवितरण बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इसके अलावा, मैंने 22.10.2021 को सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी को वीडियो आधारित जीवन प्रमाणपत्र से जुड़ी उपयोगिता को समय पर पूरा करने के लिए अर्ध-शासकीय पत्र भेजा है, ताकि पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। दिनांक 1 नवंबर 2021 से भारतीय स्टेट बैंक के सभी सीपीपीसी/क्षेत्रो में वीडियो आधारित जीवन प्रमाणपत्र शुरू किया गया है। विभाग ने डीएलसी प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से फेस-रिकग्निशन तकनीक का उपयोग करके एक पायलट शुरूआत किया है। इस प्रयोजन के लिए, विभिन्न शहरों में पंजीकृत पेंशनभोगी संघों को जोड़ा गया है और उनके अधिकारी घर-घर जाकर ऐसे पेंशनभोगियों की डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र देने में मदद कर रहे हैं, जो असमर्थ हैं। महामारी के समय में पेंशनभोगियों के लिए यह वरदान सिद्ध हुआ है।

3. भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में *आज़ादी का अमृत महोत्सव* के तहत आयोजनों की कार्य योजना के अनुसार, वरिष्ठ सरकारी पेंशनभोगियों और 75 वर्ष से अधिक आयु के कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए पेंशन जागरूकता पर एक ऑनलाइन कार्यशाला 28.10.2021 को आयोजित की गई जिसमें भारत के विभिन्न शहरों के पेंशनभोगियों ने भाग लिया।

4. सचिवों के क्षेत्रीय समूह की सिफ़ारिशों पर, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का व्यापक पुनर्विलोकन किया गया और संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों का मसौदा तैयार किया गया और सभी संबंधित विभागों की टिप्पणियां/विचार प्राप्त करने के लिए 24.07.2020 को परिचालित किया गया। मार्च, 2021 तक व्यय विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लेखा महानियंत्रक तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में पुनः विचार किया गया और इन विभागों से प्राप्त टिप्पणियों को उपयुक्त रूप से शामिल करने के बाद, संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली का आशोधित मसौदा मसौदे सभी संबंधितों (अर्थात व्यय विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लेखा महानियंत्रक तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय) को दिनांक 30.04.2021 तक उनकी टिप्पणियां/विचार मंगवाने के लिए दिनांक 08.04.2021 को पुनः परिचालित किया गया। इन मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अंतिम टिप्पणियों को संकलित कर लिया गया है और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली मसौदा और उसके अधीन प्रपत्रों/प्ररूपों का पुनरीक्षण करने के लिए इस फाइल को विधि मंत्रालय (विधायी विभाग) को दिनांक 07.07.2021 को संदर्भित किया गया था। अब पुनरीक्षित मसौदा प्राप्त हो गया है और मसौदा अधिसूचना में सुधार के लिए और सीएजी की सहमति प्राप्त करने और मसौदा अधिसूचना के हिंदी संस्करण के पुनरीक्षण के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

5. एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के परिवार को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 का लाभ देने के प्रस्ताव को डीएफएस, सीजीए और डीओपीटी से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद 04.08.2021 को व्यय विभाग को सहमति के लिए भेजा गया था। प्रस्ताव पर कुछ स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उनके दिनांक 06.10.2021 के नोट के माध्यम से व्यय विभाग से विभाग को प्रस्ताव वापस प्राप्त हुआ है।

6. सीपेंग्राम्स में पंजीकृत शिकायतों के समय पर और गुणात्मक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 27.10.2021 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, संस्कृति मंत्रालय और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ *अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक* आयोजित की।

7. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए 'भविष्य' पर सात (7) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।